

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 130/2022

दायर दिनांक: 29/08/2022

उनवान

1. योगेश बैरवा आयु 19 वर्ष पुत्र भागचन्द जाति बैरवा निवासी मूण्डला तहसील अटरू जिला बारां राज०।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज०।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर०टी०एक्ट०

व धारा 136 एल० आर० एक्ट

उपस्थिति :—

वादी :—विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा

प्रतिवादी:— परोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 27/10/2022

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर०टी०एक्ट० एवं धारा 136 एल० आर० एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल मूण्डला पटवार क्षेत्र पटना तहसील अटरू की खाता संख्या 168 की ख०नं० 752 का रकबा 2.48 है० आराजी वादी के शामिलवाती खाते दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाके ग्राम एवं माल मूण्डला पटवार क्षेत्र पटना तहसील अटरू की खाता संख्या 169 की ख०नं० 1054 रकबा 0.07, ख०नं० 1055 का रकबा 0.20 है०, ख०नं० 1058 का रकबा 0.32 है०, ख० नं० 1060/1366 का रकबा 0.16 है०, ख०नं० 13 का रकबा 1.95 है०, ख०नं० 593 का रकबा 0.09 है०, ख०नं० 594 रकबा 0.19, ख०नं० 595 का रकबा 0.19 है०, ख०नं० 632 का रकबा 0.16 है०, ख० नं० 633 का रकबा 0.08 है०, ख०नं० 634 का रकबा 0.15 है०, ख०नं० 790 का रकबा 0.09 है० कुल कित्ता 12 का रकबा 3.65 है० आराजी वादी के शामिलवाती खाते दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाके ग्राम एवं माल

मूण्डला पटवार क्षेत्र पटना तहसील अटरू की खाता संख्या 348 की ख0नं0 1105 रकबा 0.70, ख0नं0 295 का रकबा 0.93 है0, ख0नं0 57 का रकबा 0.88 है0, ख0 नं0 573 का रकबा 0.62 है0, ख0नं0 627 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 635 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 636 रकबा 0.14, ख0नं0 638 का रकबा 0.50 है0, ख0नं0 788 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 870 का रकबा 1.13 है0, ख0नं0 951/1361 का रकबा 0.01 है0, ख0नं0 965 का रकबा 0.42 है0, ख0नं0 969 रकबा 0.63 है0 कुल किता 13 का रकबा 6.15 है0 आराजी वादी के शामिलवाती खाते दर्ज हैं नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। ग्राम एवं माल मूण्डला पटवार क्षेत्र पटना तहसील अटरू की खाता संख्या 349 की ख0नं0 592 रकबा 1.50 है0 किता 1 रकबा 1.50 है0 आराजी वादी के शामिलवाती खाते दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 लगा 4 में वर्णित आराजी में वादी का नाम गोविन्द कुमार पुत्र भागचन्द दर्ज है जो वादी का गलत नाम है जबकि वादी का सही नाम योगेश बैरवा पुत्र भागचन्द दर्ज है। वादी के पिता का स्वर्गवास होने के बाद के बाद फोती इन्तकाल खुलवाते समय वादी के परिवार ने वादी का बोलता नाम गोविन्द कुमार लिखवा दिया गया। जिससे वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गोविन्द कुमार दर्ज हो गया। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, अंक तालिका, राशनकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम योगेश बैरवा पुत्र भागचन्द है। इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भिन्न है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भिन्न भिन्न नाम होने से वादी को बैंक आदि से ऋण लेने व कृषि विकास कार्य करवाने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अस्तु वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम गोविन्द कुमार पुत्र भागचन्द के स्थान पर योगेश बैरवा पुत्र भागचन्द दर्ज करवाने का अधिकारी है। जिसे बिना न्यायालय की सहायता के नहीं करवाया जा सकता। अस्तु यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमि धारक होने एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है उनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है मामला मात्र नाम व रिकार्ड दुरुस्ती का है इसलिए उन्हे 80 सीपीसी0 को नोटिस नहीं दिया गया है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 25.05.2022 को वादी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना के आवेदन करने पर जमाबन्दी में गलत नाम दर्ज से आवेदन खारिज पर तथा वादी द्वारा कई बार प्रतिवादी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन के बावजूद भी नहीं करने पर अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालया द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद की विषयवस्तु व

पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद पत्र की द्वितीय प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है। अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा वाद सादिर फरमाई जावे कि:-

(अ) वादी का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 लगा 4 में वर्णित आराजी में गोविन्द कुमार पुत्र भागचन्द के स्थान पर योगेश बैरवा पुत्र भागचन्द राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

(ब) अन्य सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब दावा/रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि ग्राम मूण्डला प0म0 पटना के खाता संख्या 169 किता 12 रकबा 3.65 है0, खाता संख्या 348 किता 13 रकबा 6.15 है0 व खाता संख्या 349 रकबा 1.50 है0 में प्रार्थी का नाम गोविन्द कुमार दर्ज है जबकि प्रार्थी का नाम दस्तावेज जनाधार, व आधार कार्ड, राशन कार्ड, अंकतालिका व सरपंच रिपोर्ट अनुसार सही नाम योगेश है। प्रार्थी का नाम उक्त विवादित आराजी में गोविन्द कुमार के स्थान पर योगेश शुद्ध किया जाना न्यायोचित होगा।

3. साक्ष्यवादी के तहत **pw 1** योगेश बैरवा पुत्र भागचन्द जाति बैरवा निवासी मूण्डला तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी योगेश ने अपने शपथ पत्र में कथन किया कि ग्राम मूण्डला पटवार क्षेत्र पटना तहसील अटरू की खाता संख्या 168 की ख0नं0 752 का रकबा 2.48 है0, खाता संख्या 169 किता 12 रकबा 3.65 है0, खाता संख्या 348 किता 13 रकबा 6.15 है0 तथा खाता संख्या 349 किता 1 रकबा 1.50 है0 आराजी में मेरा नाम सहखातेदार गोविन्द कुमार पुत्र भागचन्द दर्ज है जो मेरा गलत नाम है मेरा सही नाम योगेश बैरवा पुत्र भागचन्द है। मेरा नाम दस्तावेजों के आधार पर गोविन्द कुमार पुत्र भागचन्द के स्थान पर योगेश बैरवा पुत्र भागचन्द दर्ज करवाने का अधिकारी है।

**pw 2** द्वारक्याबाई पत्नी भागचन्द का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी ने बताया कि ग्राम मूण्डला पटवार क्षेत्र पटना तहसील अटरू की खाता संख्या 168 की ख0नं0 752

का रकबा 2.48 है0, खाता संख्या 169 किता 12 रकबा 3.65 है0, खाता संख्या 348 किता 13 रकबा 6.15 है0 तथा खाता संख्या 349 किता 1 रकबा 1.50 है0 आराजी शामिली खाते में दर्ज स्थित है। जिसमें वादी गोविन्द कुमार पुत्र भागचन्द का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है जो गलत नाम है इसका सही नाम योगेश बैरवा है जो योगेश के समस्त दस्तावेजों में अंकित है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भिन्न होने से कई समस्याओं का सामना करना पड रहा है। वादी अपने दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम गोविन्द कुमार पुत्र भागचन्द के स्थान पर योगेश बैरवा पुत्र भागचन्द दर्ज करवाने का अधिकारी है। जो बिना न्यायालय की सहायता के नहीं करवाया जा सकता।

4. अभिभाषक वादी की बहस सुनी। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया कथन किया गया कि ग्राम मूण्डला की विवादित आराजी में वादी के पिता का स्वर्गवास होने के बाद फौती इंतकाल खुलवाते समय वादी के परिवार ने वादी का बोलता नाम गोविन्द कुमार लिखवा दिया गया जो गलत नाम है वादी का सही नाम योगेश बैरवा है। वादी के दस्तावेजों –जन आधार कार्ड में योगेश, आधार कार्ड में योगेश बैरवा, प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र सत्र 2016–17 में योगेश बैरवा पुत्र भागचन्द बैरवा, राशन कार्ड में योगेश कुमार अंकित है। अभिभाषक वादी द्वारा आगे तर्क किया कि वाद पत्र की मद नं0 1 ता 4 में वादी का सही नाम उसके दस्तावेजों के आधार पर गोविन्द कुमार पुत्र भागचन्द के स्थान पर योगेश बैरवा पुत्र भागचन्द किया जावे।

5. उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत ग्राम मूण्डला की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 168 की ख0नं0 752 का रकबा 2.48 है0, खाता संख्या 169 किता 12 रकबा 3.65 है0, खाता संख्या 348 किता 13 रकबा 6.15 है0 तथा खाता संख्या 349 किता 1 रकबा 1.50 है0 की जमाबंदियों के अवलोकन से जाहिर वादी का नाम गोविन्द कुमार पुत्र भागचन्द दर्ज रिकार्ड है।

अन्य दस्तावेज जन आधार कार्ड में योगेश, आधार कार्ड में योगेश बैरवा, प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र सत्र 2016–17 में योगेश बैरवा पुत्र भागचन्द बैरवा, राशन कार्ड में योगेश कुमार अंकित है। ग्राम पंचायत पटना के प्रमाण पत्र दिनांक 15.06.2022 के अनुसार गोविन्द कुमार पुत्र भागचन्द व योगेश पुत्र भागचन्द बैरवा दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का सही नाम योगेश पुत्र भागचन्द बैरवा ही है।

6. रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—ःक्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर0टी0एक्ट0 एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल मूण्डला पटवार क्षेत्र पटना तहसील अटरू की विवादित आराजी **खाता संख्या 168** की ख0नं0 752 का रकबा 2.48 है0 , **खाता संख्या 169** की ख0नं0 1054 रकबा 0.07, ख0नं0 1055 का रकबा 0.20 है0, ख0नं0 1058 का रकबा 0.32 है0, ख0नं0 1060/1366 का रकबा 0.16 है0, ख0नं0 13 का रकबा 1.95 है0, ख0नं0 593 का रकबा 0.09 है0, ख0नं0 594 रकबा 0.19, ख0नं0 595 का रकबा 0.19 है0, ख0नं0 632 का रकबा 0.16 है0, ख0 नं0 633 का रकबा 0.08 है0, ख0 नं0 634 का रकबा 0.15 है0, ख0नं0 790 का रकबा 0.09 है0 कुल कित्ता 12 का रकबा 3.65 है0 , **खाता संख्या 348** की ख0नं0 1105 रकबा 0.70, ख0नं0 295 का रकबा 0.93 है0, ख0नं0 57 का रकबा 0.88 है0, ख0 नं0 573 का रकबा 0.62 है0, ख0नं0 627 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 635 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 636 रकबा 0.14, ख0नं0 638 का रकबा 0.50 है0, ख0नं0 788 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 870 का रकबा 1.13 है0, ख0नं0 951/1361 का रकबा 0.01 है0, ख0नं0 965 का रकबा 0.42 है0, ख0नं0 969 रकबा 0.63 है0 कुल कित्ता 13 का रकबा 6.15 है0 तथा **खाता संख्या 349** की ख0नं0 592 रकबा 1.50 है0 कित्ता 1 रकबा 1.50 है0 में सहखातेदार **गोविन्द कुमार पुत्र भागचन्द के स्थान पर योगेश बैरवा उर्फ गोविन्द कुमार पुत्र भागचन्द** दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 130/2022

दायर दिनांक: 29/08/2022

उनवान

1. योगेश बैरवा आयु 19 वर्ष पुत्र भागचन्द जाति बैरवा निवासी मूण्डला तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर0टी0एक्ट0

व धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रुबरू.....X.....

**बहाजिर :-**

वादी :-विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा

प्रतिवादी:-पेरोकार सरकार

मिनजानित मुदई रुबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम एवं माल मूण्डला पटवार क्षेत्र पटना तहसील अटरू की विवादित आराजी **खाता संख्या 168** की ख0नं0 752 का रकबा 2.48 है0 , **खाता संख्या 169** की ख0नं0 1054 रकबा 0.07, ख0नं0 1055 का रकबा 0.20 है0, ख0नं0 1058 का रकबा 0.32 है0, ख0नं0 1060/1366 का रकबा 0.16 है0, ख0नं0 13 का रकबा 1.95 है0, ख0नं0 593 का रकबा 0.09 है0, ख0नं0 594 रकबा 0.19, ख0नं0 595 का रकबा 0.19 है0, ख0नं0 632 का रकबा 0.16 है0, ख0 नं0 633 का रकबा 0.08 है0, ख0 नं0 634 का रकबा 0.15 है0, ख0नं0 790 का रकबा 0.09 है0 कुल कित्ता 12 का रकबा 3.65 है0 , **खाता संख्या 348** की ख0नं0 1105 रकबा 0.70, ख0नं0 295 का रकबा 0.93 है0, ख0नं0 57 का रकबा 0.88 है0, ख0 नं0 573 का रकबा 0.62 है0, ख0नं0 627 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 635 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 636 रकबा 0.14, ख0नं0 638 का रकबा 0.50 है0, ख0नं0 788 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 870 का रकबा 1.13 है0, ख0नं0 951/1361 का रकबा 0.01 है0, ख0नं0 965 का रकबा 0.42 है0, ख0नं0 969 रकबा 0.63 है0 कुल कित्ता 13 का रकबा 6.15 है0 तथा **खाता संख्या 349** की ख0नं0 592 रकबा 1.50 है0 कित्ता 1 रकबा 1.50 है0 में सहखातेदार **गोविन्द कुमार पुत्र भागचन्द के स्थान पर योगेश बैरवा उर्फ गोविन्द कुमार पुत्र भागचन्द दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती करें।**

(दिनेश कुमार मीणा)

उप खण्ड अधिकारी

अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....

.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.10.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)